

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2022

दिनांक- 21.02.2023

## आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्रीमती मगन गुलाटी व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राबाउमावि बारहगुवाड, बीकानेर जिनकी जन्म तिथि:- 31.12.1963 ने दिनांक 06.01.2023 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 06.04.2023 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्रीमती मगन गुलाटी, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राबाउमावि बारहगुवाड, बीकानेर को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 06.04.2023 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती मगन गुलाटी के विरुद्ध आज तक -

4. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
5. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
6. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(गौरव अग्रवाल)

आईएसएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2022

दिनांक- 21.02.2023

प्रतिया सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

9. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
10. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा बीकानेर जयते
11. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि. बीकानेर
12. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु
13. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 608/88-90 के विलोपन की कार्यवाही के संबंध में।
14. प्रधानाचार्य, राबाउमावि बारहगुवाड, बीकानेर।
15. श्रीमती मगन गुलाटी व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राबाउमावि बारहगुवाड, बीकानेर।
16. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/रवै0रोवा/2022

दिनांक-21.02.2023

## आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री मनीराम व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि बीकासर, नोखा, बीकानेर जिनकी जन्म तिथि- 13.09.1964 ने दिनांक 24.12.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.04.2023 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्री मनीराम, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि बीकासर, नोखा, बीकानेर को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.04.2023 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री मनीराम के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लग्नित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लग्नित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लग्नित नहीं है।

(गौरव अग्रवाल)

आई ए एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक-21.2.2023

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/रवै0रोवा/निवृत्ति/2022

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रहित -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा बीकानेर
3. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि. बीकानेर
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. अनुभाग अधिकारी एवी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 1348/08-09 के विलोपन की कार्यवाही के संबध में।
6. प्रधानाचार्य, राउमावि बीकासर, नोखा, बीकानेर।
7. श्री मनीराम व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि बीकासर, नोखा, बीकानेर।
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक-शिविरा/मा/रास्थान/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2021

दिनांक-21.02.2023

**कार्यालय आदेश**

श्री उत्तम चन्द सागर प्राध्यापक (हिन्दी), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेहरों का गुडा, बड़गोव, जिला- उदयपुर जिनकी जन्मतिथि - 10.06.1963 है, का निधन दिनांक- 02.01.2023 को हो चुका है। अतः उत्तम चन्द सागर प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक- 02.01.2023 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री उत्तम चन्द सागर, प्राध्यापक (हिन्दी) के विरुद्ध मृत्यु दिनांक तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(गौरव अग्रवाल)

आई ए एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक-21.02.2023

क्रमांक-शिविरा/मा/रास्थान/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2021

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रप्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा उदयपुर
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि. उदयपुर
4. अनुभाग अधिकारी, हितकारी निधि कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु
6. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी...बड़गोव, उदयपुर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेहरों का गुडा, बड़गोव, जिला-उदयपुर
9. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग
10. आश्रित रव. श्री उत्तम चन्द सागर प्राध्यापक (हिन्दी), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेहरों का गुडा, बड़गोव, जिला-उदयपुर
11. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर